

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दोसा  
शिवलाल बनाम शिवघरण वगै० वगै०

मु०नं०- 70/2024

किस्म मुकदमा-दावा तकारमा

पीठासीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.02.2026	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय विभाजन प्रस्ताव हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार एवं सही है जिनसे वादी पूर्णत सहमत है, इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंतिम डिक्री पारित की जावे। बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया, पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण में पत्रांक भू०अ०/2025/3514 दिनांक 23.12.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किए गए है जो कि दिनांक 10.12.2025 को तैयार किए गए हैं। बहस वादी अधिवक्ता एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अत तहसीदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू०अ०/2025/3514 दिनांक 23.12.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सिकराय विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दोसा</p>	